भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
आतारंकित प्रश्न सं. 193
उत्तर दिए जाने की तारीख : 14.09.2020

ऑनलाइन कक्षाएं

†193. श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री के॰ सुब्बारायणः
सुश्री दिया कुमारीः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री बी॰ मणिक्कम टैगोरः
श्री जयंत सिन्हाः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित हैं;

(ग) महामारी के दौरान ऐसे छात्रों जिनके पास स्मार्टफोन, फीचर्स फोन नहीं हैं, के लिए ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षण विधियों और संसाध्नों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु यदि कोई उपाय किए गए
हैं, तो वे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों से ऐसे सभी छात्रों का पता लगाने के लिए कहा है ताकि महामारी के बीच उन्हें शिक्षा प्राप्ति में सभी सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऑनलाइन शिक्षण के नए तौर-तरीकों के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कोविड-19 महामारी के कारण 'स्कूल ड्रॉप आउट' दरों में वृद्धि हुई है और यदि हां तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं और प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर 'ड्रॉप आउट' के राज्य-वार
कारण क्या हैं; और
(ज) कोविड-19 महामारी के पश्चात विद्यालयों को फिर से खोलने की मानक संचालन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क से ग): विभिन्न डिजिटल टूल को नियोजित करके स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं जैसे की DIKSHA पोर्टल (https://diksha.gov.in/), SWAYAM पोर्टल (swayam.gov.in), SWAYAM Prabha, DD Channel, e-Pathshala (https://epathshala.nic.in/), NROER (नेशनल एजुकेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स) पोर्टल (https://nroer.gov.in/welcome), रेडियो, सामुदायिक रेडियो और CBSE पॉडकास्ट आदि। जिन छात्रों को डिजिटल साधन नहीं है उनके लिए टीवी रेडियो के माध्यम का उपयोग किया गया है।
तमिलनाडु ने इस महामारी के दौरान स्कूली बच्चों की सीखने की जरूरतों के लिए विशेष रूप से एक टीवी चैनल, कालवी टीवी को पुनर्निर्धारित किया है। टीवी कार्यक्रमों को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। SCERT द्वारा सभी वर्गों और विषयों के लिए नई सामग्री बनाई गई है और हर रोज़ रातहै। रही जा की प्रसारित दिन-
सभी राज्यों द्वारा उठाए गए कदम इस रिपोर्ट में दर्शये गए हैं- इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एडुकेशन जून 2020

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf

(घ): ऑनलाइन शिक्षा का हर वर्ग के छात्रों को लाभ मिल सके इसके लिए Learning Enhancement Guidelines जारी किए गए हैं
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Learning_Enhancement_0.pdf

19 अगस्त 2020 को COVID-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान लर्निंग एन्हांसमेंट दिशानिर्देश जारी किया गए हैं। ये निम्नलिखित के लिए सिफारिशों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए हैं:

- डिजिटल उपकरणों के बिना छात्रों के लिए COVID -19 के दौरान सीखने में वृद्धि
- डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों के लिए COVID-19 के दौरान सीखने में वृद्धि
- डिजिटल उपकरणों के साथ छात्रों के लिए COVID-19 के दौरान सीखने में वृद्धि

(ङ) तमिलनाडु ने एक विस्तृत डेटा संग्रह फॉर्म तैयार किया है जिससे छात्रों तथा उनके परिवारों की डिजिटल उपकरणों, संचार और प्रौद्योगिकी मोड और इंटरनेट सुविधा तक उनकी पहुंच का आकलन किया जा सके।

13 जुलाई 2020 को मंत्रालय से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के साथ व्यवहार करने के बारे में दिशानिर्देश हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी बच्चों के लिए सीखने या शैक्षणिक वर्ष का कोई नुकसान नहीं हो, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई है।

(च) 19 अगस्त 2020 को COVID-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान लर्निंग एन्हांसमेंट दिशानिर्देश जारी किया गए हैं।

(छ) COVID-19 के दौरान ड्रॉप आउट राज्यों का विषय है, व उनको अवगत करा दिया गया है।

(ज) COVID-19 के बाद स्कूल खोलने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

****